न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला – पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

राजस्व वि. सं.– 61/2019
दायर तिथि :– 19.09.2019
तारीख निर्णय – 09.10.2019

प्रार्थीगण :–
श्री हरीश चौधरी पुत्र मूलसिंह
जाति – जाट,
निवासी – पावटा जोधपुर

ब ना म

अप्रार्थी :–
तहसीलदार (भूमिधारी),
सुमेरपुर (पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक : 09.10.2019

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। सरकारी पैरोकार उपस्थित।

सरकारी पैरोकार ने वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बिन्दुवार जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार भूमिधारी ने जवाब प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी द्वारा सीमांकन बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया था, जिसकी पालना में पटवारी हल्का बलवना द्वारा मौजा बलवना के खसरा नं. 235, 235/670 का उपस्थित मौतबिरान एवं प्रार्थी के उक्त खसरों की माठ का सीमांकन कर निशानात बताये गये, जिस पर पडौसी खातेदारों द्वारा कोई आपत्ति पेश नहीं की ।

हमने प्रार्थी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन एवं मनन किया। प्रार्थी अपनी खातेदारी का सीमांकन करवाकर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। अतः तहसीलदार सुमेरपुर मौके पर पटवारी हल्का के साथ मौके पर उपस्थित रहकर मौजा बलवना के खसरा नं. 235 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नं. 235/670 रकबा 1.84 हैक्टेयर कुल रकबा 2.02 हैक्टेयर का प्रार्थी व पड़ौसी खातेदारों की उपस्थिति में सीमांकन करवाकर प्रार्थी के खर्चे पर पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते है।

पटवारी हल्का बलवना एवं तहसीलदार सुमेरपुर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर, जिला-पाली (राजस्थान)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)
सुमेरपुर

Scanned by CamScanner